Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में राष्ट्रीय प्रोजेक्ट निर्माण निगम (एन.पी.सी.सी.) का प्रोजेक्ट–मैनेजर 1 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *03 सितम्बर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर देहात इकाई द्वारा आज शुक्रवार को कार्यवाही करते हुये अमृत लाल मीणा प्रोजेक्ट–मैनेजर राष्ट्रीय प्रोजेक्ट निर्माण निगम (एन.पी.सी.सी.), जयपुर को परिवादी से 1 लाख रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर देहात इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म द्वारा किये गये निमार्ण कार्यों के बकाया बिल क्लीयर करने की एवज में अमृत लाल मीणा प्रोजेक्ट–मैनेजर राष्ट्रीय प्रोजेक्ट निर्माण निगम (एन.पी.सी.सी.), जयपुर द्वारा कुल बिल राशि के 4.5 प्रतिशत कमीशन के रूप में 1 लाख रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर देहात इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नरोत्तम लाल वर्मा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री मानवेन्द्र सिंह** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये अमृत लाल मीणा पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद मीणा निवासी ग्राम फूलवाड़ा, पुलिस थाना बामनवास, जिला सवाईमाधोपुर हाल निवासी सी–16, सरस्वती अपार्टमेंट, प्रतापनगर सेक्टर–16, जयपुर हाल सहायक अभियन्ता, प्रोजेक्ट–मैनेजर राष्ट्रीय प्रोजेक्ट निर्माण निगम (एन.पी.सी.सी.), जयपुर को परिवादी से **1 लाख रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।